अनवान..... सुखजीत सिंह V/S स्टेट ऑफ R.C. 52/2014

बनाम

स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, श्रीकरनपुर व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
21-1-20	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी सुखजीत सिंह उपस्थित आये। प्रार्थी ने वसीयत पक्ष के गवाह गुरदेव सिंह व पूरणसिंह को उपस्थित करा कर उनके बयान दर्ज करवाये। जो शामिल पत्रावली किये। बाद विवेचन पत्रावली हेतु आदेश 23.01.2020 को पेश हो। 21.01.20	सुखजीत सिंह गुरदेव सिंह पूरण सिंह
23.01.20	पत्रावली पेश हुई। पत्रावली का गहनता से अध्ययन कर मनन किया गया जिसका संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है प्रार्थना पत्र सुखजीत सिंह पुत्र ज्ञान सिंह जाति तरखान निवासी 12 एफ एफ तहसील श्रीकरनपुर का चननसिंह पुत्र इन्द्र सिंह जाति तरखान निवासी 12 एफ एफ द्वारा चक 12 एफ एफ का मु न 63 रकबा 5 बीघा (1.265) है. के सम्बन्ध मे दिनांक 5-3-2010 को लिखित वसीयत के आधार पर इन्तकाल दर्ज करवाने बाबत वसीयत की प्रति मय मृत्यु प्रमाण पत्र के प्राप्त हुआ। चननसिंह पुत्र इन्द्रसिंह ने उक्त भूमि अपने पोतो तरसेम सिंह करणजीत सिंह पि० बलवन्तसिंह, हरविन्द्र सिंह नवप्रीतसिंह पि० गुरमीतसिंह व सुखजीतसिंह गुरविन्द्रसिंह पि० ज्ञानसिंह जाति तरखान निवासी 12 FF के पक्ष वसीयत की है। वसीयत के सम्बन्ध मे हलका पटवारी से रिपोर्ट ली गई मुताबिक रिपोर्ट पटवारी आराजी	

फर्द अहकाम

(फार्म - III)

न्यायालय तहसीलदार (राजस्व)भू अभिलेख श्रीकरनपुर

अनवान........

बनाम

स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, श्रीकरनपुर व अन्य ....नं0........वर्ष........

किस्म मुकदमा........

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख से जारी हुआ
	चक 12 FF का मु० नं 63 का 5 बीघा रकबा (1.265 है) मध्ये चननसिंह S/o इन्द्रसिंह जाति तरखान के नाम खातेदारी दर्ज है। रकबा स्वयं अर्जित है। उक्त रकबे पर कब्जा वसीयत कर्ता के वारिसान का है। रकबा सीलिंग सीमा से प्रभावित नहीं है। रकबा रहन/बैय नहीं है। उक्त रकबे पर किसी न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं है न ही किसी न्यायालय मे वाद विचाराधीन है रकबा सार्वजनिक कार्य हेतु अवाप्त/आरक्षित नहीं है।	
	इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/व 9/भू अ/8008 दिनांक 3-1-2020 द्वारा वसीयत के सम्बन्ध मे आपत्ति/एतराज बाबत किसी दैनिक लोकप्रिय समाचार पत्र मे प्रकाशित करवाने के लिए विज्ञप्ति जारी की गई जो सार्वजनिक दैनिक समाचार पत्र सीमा संदेश श्रीगंगानगर मे दिनांक 4-1-2020 के अंक मे पृष्ठ संख्या 4 के कालम नं 6 मे प्रकाशित हुई। प्रकाशित होने के बाद आदिनांक इस कार्यालय मे वसीयत के सम्बन्ध मे कोई आपत्ति/एतराज प्राप्त नहीं हुआ।	
	वसीयत मे दर्ज गवाहान प्रतापसिंह पुत्र गुरबचनसिंह जाति जटसिख निवासी 12 एफ एफ तह० श्रीकरनपुर व गुरदेवसिंह पुत्र गुरबचनसिंह जाति जटसिख निवासी 12 एफ एफ तह० श्रीकरनपुर ने अपने शपथ पत्र पेश	

अनवान.....

बनाम

स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, श्रीकरनपुर व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए

किये है तथा स्वयं उपस्थित होकर बयान दिये है कि वसीयत कर्ता चननसिह पुत्र इन्द्रसिह जाति तरखान ने दिनांक 5-3-2010 को हमारे समक्ष वसीयत लिखी थी। वसीयत अपने पोते तरसेमसिह कर्णजीतसिह पि० कलवन्तसिह हरविन्द्रसिह लवप्रीतसिह पि० गुरमीलसिह व सुखजीतसिह गुरविन्द्रसिह पि० चननसिह के नाम की थी वसीयत के समय वसीयत कर्ता चननसिह पुत्र इन्द्रसिह पूर्णरूप से स्वस्थ व होश हवास व बिना किसी नशे-पते के थे। तथा बिना किसी दबाव/उत्पीडन के अपनी पूर्ण स्वेच्छा व रजामन्दी से वसीयत करना बताया गया। एवं वसीयत कर्ता चननसिह S/o इन्द्रसिह की मृत्यु होना बताया गया।

राजस्थान भू-अभिलेख नियमावली 1957 के नियम 131(2) के तहत वसीयत की वैधता प्रमाणित होती है। अत. प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। एवं पटवारी हल्का को आदेश जारी हो कि चननसिह पुत्र इन्द्रसिह द्वारा दिनांक 5-3-2010 को निष्पादित वसीयत के आधार पर राजस्व रिकार्ड में नियमानुसार अमल दरामद किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो, दफ्तर दाखिल हो।

23.9.20